FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0129 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/05/2026 10:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 13/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:40 बजे **Time To (समय तक):** 19:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/05/2026 **Time (समय):** 08:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/05/2026 10:19:39 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NARSINGH TOLL NAKA PRATAPGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RITESH MALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KANHAIYALAL MALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHHOTI SADARI, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHHOTI SADARI, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARVEEN KUMAR		पिता:VISHAL DAN CHARAN	1. A-29,DADUDAYAL NAGAR MANSAROVAR,MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,87,650.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,87,650.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी,वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 12.05.2026 को समय 1.23 पी.एम. पर ब्यूरों मुख्यालय के 1064 हेल्पलाईन नम्बर से मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवा सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की गई। तो परिवादी ने शिकायत संबंधी तथ्य बताकर जिला प्रतापगढ का मूल निवासी होना बताया व ब्यूरों चोकी डूंगरपुर पर उपस्थित होने मे असमर्थता जाहिर की गई। जिस पर परिवादी श्री रितेशमाली को कॉल करने पर प्रतापगढ बाईपास पर मिलने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 02.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द किया गया व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 को मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय मे बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड SANDISK 8GB निकाल कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरों जाप्ता श्री करण सिंह एएसआई, श्री बाबुलाल कानि. 393, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 मय सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड, व ब्यूरों का डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व लेपटोप व आवश्यक संसाधन के ब्यूरों कार्यालय डूंगरपुर से बाईपास प्रतापगढ के लिये सरकारी वाहन से रवाना हुये । हालात उच्च अधिकारीयो को अर्ज किये। समय करीब 05.30 पी. एम पर उपरोक्त पैरा के रवाना शुदा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता के ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना शुदा बाईपास प्रतापगढ पंहुच मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल से परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी श्री रितेश माली को बाईपास प्रतापगढ पर उपस्थित होने हेतु कहा गया। तत्पश्चात समय करीब 05.35 पी.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री रितेश माली पिता कन्हैयालाल माली उम्र 26 वर्ष निवासी छोटी सादडी जिला प्रतापगढ अपनी निजी कार से बाईपास प्रतापगढ पर उपस्थित हो मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आषय कि पेष की "सादर निवेदन है कि मे प्रार्थी रितेश माली पिता कन्हैयालाल माली उम्र 26 वर्ष निवासी छोटी सादडी जिला प्रतापगढ का रहने वाला हूँ, मेरे बडे भाई रोहित माली को धोलापानी पुलिस बलात्कार मामले मे पकडकर ले गई है मेरे भाई रोहित माली के साथ मारपीट नही करने व मामले मे मदद करने एवं मुकदमे मे मेरे पिताजी को नही फंसाने के एवज मे प्रवीण सिंह चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ द्वारा 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हु रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हु मेरी प्रवीण सिंह से पुरानी कोई दुष्मनी नही है ना ही कोई पुरानी लेन-देन बाकी नही है। उचित कार्यवाही करावें।" मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री रितेश माली द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वंय का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरे बडे भाई रोहित माली को धोलापानी पुलिस बलात्कार मामले मे पकडकर ले गई है मेरे भाई रोहित माली के साथ मारपीट नही करने व मामले मे मदद करने एवं मुकदमे मे मेरे पिताजी को नही फंसाने के एवज मे प्रवीण सिंह चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ द्वारा 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जाकर परेशान किया जा रहा है। श्री प्रवीण सिंह बहुत ही चालाक प्रवृति का व्यक्ति है। जिस पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार न. 390 व परिवादी श्री रितेश माली का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये

गये। परिवादी श्री रितेश माली ने बताया की थानाधिकारी श्री प्रवीण सिंह अभी थाने पर उपस्थित मिल जायेगे। श्री प्रवीण सिंह ने आज ही मुझे 20,000/- रूपये लेकर थाने पर बात करने के लिए बुलाया है जो मै साथ मे लेकर आया हुं। उक्त राशि 20,000/- रूपये परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की उक्त राशि के नोटो के नम्बरो का श्री बाबुलाल कानि न.393 के मोबाईल से फोटो खिचवाये गये। मौके पर प्रिन्ट निकालने की सुविधा नही होने से अकब से प्रिन्ट निकालकर शामिल प्रत्रावली किया जावेगा। कानि. श्री बाबुलाल को उक्त फोटो को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार न. 390 को पूर्व मे सम्भलवाया गया डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया गया लेकिन संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह द्वारा कालॅ नही उठाया गया उक्त वार्ता को परिवादी का मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा ब्यूरो के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रितेश माली ने बताया की श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आ रहा है। जिस पर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा परिवादी की संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी से वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह द्वारा परिवादी को थाने पर जल्दी आने हेतु कहा गया। उक्त वार्ता को परिवादी का मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा ब्यूरो के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रितेश माली को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के व उक्त 20,000/- रूपये रिश्वत राशि को परिवादी श्री रितेश माली को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं0 390 व परिवादी मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की कार से समय करीब 06.05 पी.एम पर पुलिस थाना धोलापानी की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.30 पी.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व परिवादी श्री रितेश माली परिवादी की कार से बाईपास प्रतापगढ मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास उपस्थित हो व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै व परिवादी श्री रितेश माली परिवादी की कार से श्रीमान के निर्देशानुसार रवाना हो पुलिस थाना धोलापानी की तरफ जा रहे थे समय 07.19 पी.एम पर परिवादी श्री रितेश माली द्वारा मन् कानि को बताया गया की बार-बार श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल आ रहा है। जिस पर परिवादी की कार को रोड के साईट मे खडी करा परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल करवाया गया। तो संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी द्वारा वार्ता नही कर परिवादी के भाई श्री रोहित माली से वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा ब्यूरो के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात वहा से रवाना हो पुलिस थाना धोलापानी के पास पहुच समय करीब 07.54. पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी श्री रितेश माली को सुपुर्द कर संद्विग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी श्री रितेश माली को पुलिस थाना धोलापानी के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 08.40 पी.एम पर परिवादी मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया की मेने श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी को 20,000/- रूपये दे दिये है। जिस पर मन् कानि. डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री रितेश माली के साथ परिवादी की कार से रवाना हो आपके पास आये है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा परिवादी श्री रितेश माली व संद्विग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर रिश्वत राशि मांग स्पष्ट नही होना पाया गया। जिस पर परिवादी को एक बार वापस मांग सत्यापन हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया बार-बार मेरे जाने से श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी को शक हो सकता है वो रिश्वत मांगने बाबत कभी भी मुझे कॉल कर सकते है। जिस पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार न. 390 को परिवादी के साथ ही मुकिम रहने व संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी द्वारा रिष्वत बाबत कॉल आने पर मांग सत्यापन हेतु निर्देश देकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री रितेश माली को आवश्यक निर्देश देकर रूकसत किया गया। समय करीब 11.00 पी.एम पर गोपनीयता के मध्यनजर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता श्री करण सिंह, श्री बाबुलाल कानि मय सरकारी वाहन से बांसवाडा के लिए रवाना हुये। दिनांक 13.05.2026 समय 01.10 ए.एम पर उपरोक्त पेरा का रवाना शुदा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के सर्किट हाउस बांसवाडा पंहुच मुकिम हुआ। तत्पष्चात समय करीब 08.23 ए.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि द्वारा कॉल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया की परिवादी श्री रितेश माली व परिवादी के जिजाजी श्री ओमजी सपरिवादी दोनो रिश्वत राशि की मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी

के पास जाने हेतु कह रहे है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को परिवादी श्री रितेश माली को डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी के साथ जाकर मांग संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड करवाने हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 09.15 ए.एम पर ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान उप वन संरक्षक बांसवाडा को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एसपीएल-1 दिनांक 13.05.2026 से तेहरीर जारी कर श्री बाबु लाल कानि. को कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाडा हेतु रवाना किया गया। समय करीब 09.52 ए.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर बताया कि श्रीमान के आदेशानुसार मै, परिवादी रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी परिवादी की कार से छोटी सादडी से रवाना हो पुलिस थाना धोलापानी के पास पहुच समय करीब 08.44 ए.एम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी श्री रितेश माली को सुपुर्द कर परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी को संद्विग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पुलिस थाना धोलापानी के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 09.50 ए.एम पर परिवादी व सपरिवादी मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा है। परिवादी ने बताया की हमारी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन बाबत वार्ता हुई है । श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने हमसे 3,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र को निर्देष दिये की आप लोग वहा से रवाना हो छोटी सादडी जाकर मुझे कॉल कर वार्ता करे। समय करीब 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल कॉल कर श्री धिरेन्द्र कानि न.546 ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर को निर्देश दिये की आप, श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न.189, श्री दिपक कानि.न. 87 व श्री महेशचन्द्र कानि. 394 मय ट्रैप बॉक्स को अपनी निजी कार से हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पंहुचे। समय करीब 10.21 ए.एम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं. 390 द्वारा कॉल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया की हम वहा से रवाना हो छोटी सादडी पंहुचे है । जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. के मोबाईल से परिवादी श्री रितेश माली से वार्ता कर मय् रिश्वत राशि के ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये जिस पर परिवादी श्री रितेश माली ने बताया की 3,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर तीन चार घण्टे मे हम ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित हो जायेंगे। समय करीब 10.30 ए.एम पर श्री बाबुलाल कानि. न. 393 व दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। कानि.श्री बाबुलाल ने कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाडा का पत्र क्रमांक 2547-49 दिनांक 13.05.2026 लाकर पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहाण को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री कुलदीप सिंह पिता श्री पर्वतसिंह चैहान उम्र-35 वर्ष क्षैत्रिय वन अधिकारी दितीय विकास, कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाडा, निवासी वाजेडा, पिपलादा पुलिस थाना सदर जिला डुंगरपुर। मोबाईल नं व श्री राघव तलवाडिया पिता श्री दिलीप तलवाडिया उम्र-27 वर्ष, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाडा, निवासी तलवाडियों का मोहल्ला तलहटी महल की गली बांसवाडा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाडा मोबाईल नं होना बताया । जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 12.30 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से श्री धिरेन्द्र कानि न.546, श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न.189, श्री दिपक कानि.न. 87 व श्री महेशचन्द्र कानि. 394 मय ट्रैप बॉक्स के अपनी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा हाजिर आये जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.42 पी.एम पर सपरिवादी श्री ओमजी के मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी श्री रितेश माली ने बताया की श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने अपने मोबाईल से श्री रोहित माली के सेठ श्री मितांश कोठारी से बात करवाकर श्री मितांश कोठारी से 3,00,000 रूपये श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी ने ले लिये है। श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी मय जाप्ता प्रकरण में श्री रोहित माली को घटना स्थल तस्दीक कराने गंगापुर भीलवाडा लेकर गया है। बाद घटना स्थल तस्दीक करा वापस पुलिस थाना धोलापानी आयेगें। जिस पर परिवादी, सपरिवादी व कानि. जितेन्द्र कुमार को कारूण्डा मोड पर पंहुचने के निर्देश दिये गये व बताया की मन् पुलिस उप अधीक्षक मय टीम के ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा से रवाना हो कारूण्डा मोड छोटी सादडी पर आ रहा हुं। जहा आप सभी उपस्थित मिलना। समय करीब 03.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पूर्व मे श्री बाबुलाल कानि. को सम्भलाये गये सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड को मंगा कर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि

बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा संदिग्ध के आवास व कार्यालय की खाना तलाशीकी कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 04.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री पंकज कुमार कानि.न. 551 व श्री वीर विक्रम सिंह न. 189 को पुलिस थाना धोलापानी के आस-पास मुकिम होने हेतु निर्देश कर श्री धिरेन्द्र सिंह कानि.न. 546, श्री पंकज कुमार कानि. न. 551 श्री दीपक कानि न. 87, श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न 189 व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ लिपिक को कानि श्री धिरेन्द्र सिंह की निजी कार से कारूण्डा मोड की ओर रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह, श्री राघव तलवाडिया, श्री करण सिंह एएसआई, श्री बाबुलाल कानि, श्री महेशचन्द्र कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा से कारूण्डा छोटी सादडी मोड तरफ रवाना हुए। समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा से रवानाशुदा कारूण्डा मोड छोटी सादडी के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। जहा परिवादी श्री रितेश माली सपरिवादी श्री ओमजी व कानि. जितेन्द्र कुमार परिवादी की कार से उतर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आये व कानि श्री जितेन्द्र कुमार ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश कर बताया कि श्रीमान के आदेशानुसार मै, परिवादी रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी परिवादी की कार से छोटी सादडी से रवाना हो पुलिस थाना धोलापानी के पास पहुच समय करीब 08.44 ए.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी श्री रितेश माली को सुपुर्द कर परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी को संद्विग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पुलिस थाना धोलापानी के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 09.50 ए.एम पर परिवादी व सपरिवादी मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया। कानि. के कथनो की ताहिद करते हुये परिवादी ने बताया की हमारी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन बाबत वार्ता हुई है। श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने हमसे 3,00,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की। हम रिश्वत राशि की व्यवस्था कर रहे थे तो हमे सूचना मिली की श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने अपने मोबाईल से श्री रोहित के सेठ श्री मितांश कोठारी से श्री रोहित माली की बात करवाकर श्री मितांश कोठारी से 3,00,000 रूपये लेकर श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी मय जाप्ता प्रकरण में श्री रोहित माली को घटना स्थल तस्दीक कराने गंगापुर भीलवाडा लेकर गया है। बाद घटना स्थल तस्दीक करा वापस पुलिस थाना धोलापानी आयेगें। तत्पश्चात डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड मे दिनांक 13.05.2026 को परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी व संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो पाया की रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग नही होना पाया गया। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया की उक्त वार्ता 1 घण्टा 6 मिनट की हुई लेकिन तकनीकि खराबी के कारण 34 मिनट की मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड हुई है। कानि. के कथनो की परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी ने भी ताहिद की। तत्पश्चात सरकारी वाहन में बैठे दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी व सपरिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.05.2026 को परिवादी श्री रितेश माली द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, सपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान व सपरिवादी श्री ओमजी के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 12.05.2026 को परिवादी श्री रितेश माली व संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 13.05.2026 को परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी व संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। उच्च अधिकारीयो को हालात अर्ज किये जाकर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत निर्देश प्राप्त किये गये। तत्पश्चात समय करीब 07.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि., श्री धिरेन्द्र सिंह न. 546, श्री दीपक कानि न. 87, श्री महेशचन्द्र कानि व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ लिपिक को कानि श्री धिरेन्द्र सिंह की निजी कार से नृसिंगढ टोल की तरफ रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह, श्री राघव तलवाडिया, श्री करण सिंह एएसआई, श्री बाबुलाल कानि, परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं0 390 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के सरकारी वाहन से कारूण्डा छोटी सादडी मोड से नृसिंगढ टोल की तरफ रवाना हुए । समय करीब 07.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से कारूण्डा मोड से रवानाशुदा नृसिंगढ टोल के पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा कर संदिग्ध श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी मय वाहन के आने के इंतजार मे टोल नाके के पास मुकिम हुये। समय करीब 07.35 पी.एम पर निम्बाहेडा की तरफ से एक सफेद कार नम्बर RJ09 CB 9422 आकर टोल नाके पर रूकी जिसमे आगे दो व्यक्ति बावर्दी बैठे हुये थे। जिन्हे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय टीम द्वारा उक्त कार मे बैठ व्यक्तिीयो को निचे उतार कर कार को रोड के साईट मे खडा किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान

का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर पुलिस निरीक्षक की वर्दी वाले व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रवीण कुमार पिता श्री विशाल दान चारण उम्र 52 वर्ष जाति चारण निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर जयपुर राजस्थान हाल थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ होना बताया। तत्पश्चात बावर्दी ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मनरूपराम मंडा पिता वक्साराम मंडा उम्र 33 वर्ष निवासी ब्राहमणों के बास वार्ड नं.0 06 गोराउ जिला नागौर हाल कानि. नं0 295 तत्पश्चात पिछे की सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रघुवीर सिंह पिता मोहन सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी कुकनावाली, जिला नागौर हाल कानि. नं. 26 पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ, एक अन्य जो कार मे बैठे हुये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया श्री रोहित माली पिता कन्हैया लाल माली निवासी छोटी सादडी होना बताया। तत्पष्चात उक्त कार की तलाषी दोनो स्वतन्त्र गवाहान से लिवाई गई तो कां ड्राईवर सीट के पिछे सीट कवर मे डाली हुई पुलिस थाना धोलापानी के प्रकरण संख्या 42/2026 धारा 87,64(1) बीएनएस 2023 की मूल पत्रावली मिली गवाह श्री कुलदीप सिंह को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलवाई गई। गवाह श्री कुलदीप सिंह द्वारा कॉ ड्राईवर सीट के सामने डेस्कबोड को खोलकर देखा तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के नोटो की पांच गड्डीयां मिली जिसे दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 2,50,000 रूपये होना दोनो गवाहान ने बताया। उक्त राशि को कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री कुलदीप सिंह से लिवाई गई तो आरोपी श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी के पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के नोट मिले जिन्हे स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाया गया तो कुल 37650 रूपये होना गवाहान ने बताया उक्त राशि को कब्जे ब्यूरो ली गई। उसके अलावा एक मोबाईल आईफोन कम्पनी का मॉडल 13 प्रो मैक्स मिला जिन्हे स्वतन्त्र गवाह श्री कुलदीप सिंह को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी से जामातलाशी व कार की तलाशी मे मिली 2,50,000 व 37650 कुल रूपये 287650 रूपये के बारे मे पूछा गया तो आरोपी ने अपनी ऐरियर के 14,00,000/- रूपये मिलना बताया ये राशी मैने बैंक से कुछ समय पहले 14,00,000/- निकालना एवं उक्त राशि मे से ही शेष राशि होना बताया। आरोपी श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी द्वारा उक्त राशि के बारे मे कोई सन्तोष जनक जवाब नही दे पाए । जिस पर कानि श्री रघुवीर सिंह व श्री मनरूप द्वारा उक्त राशि के सम्बन्ध में बताया की जब हम सीआई साहब के साथ गंगापुर भीलवाडा जा रहे थे तब रास्ते मे सीआई साहब ने प्राईवेट वाहन को रोड के साईड मे रूकवाकर हम दोनो को गाडी के बाहर निकलकर रूकने को कहा और उन्होने अपने मोबाईल से आरोपी रोहित माली की किसी अन्य व्यक्ति से वार्ता करवाई थी। वार्ता होने के बाद सीआई साहब ने हमे पुनः गाडी मे बैठा गंगापुर जाने हेतु रवाना हुये थे। उसी दौरान श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी ने गंगापुर भीलवाडा जाते समय निम्बाहेडा से कुछ दुरी पहले बाडी ग्राम के रोड पर ही वाहन को रूकवाकर हमे प्राईवेट वाहन में ही बैठे रहने का कहकर वाहन से उतरकर अन्य व्यक्ति से मिले जिससे उन्होने 500-500 रूपये के नोटो के गड्डी लेकर प्राईवेट वाहन में कॉ ड्राईवर की सीट पर आकर बैठ गए और उक्त राषि को प्राईवेट वाहन के कॉ ड्राईवर सीट के सामने डेस्कबोर्ड में रख दिया था। हमारे इस राशि के लेन-देन के सम्बन्ध में कोई लेना देना नही है। हम इसके बारे नही जानते है। ना ही हम उस व्यक्ति को पहचानते है जिसने सीआई साहब को रूपये दिये थे। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पूर्व में पुलिस थाना धोलापानी के आस-पास पाबन्दषुदा कानि श्री पंकज कुमार व श्री वीर विक्रम सिंह को जरिये दूरभाष पुलिस थाना धोलापानी में प्रवेश कर थानाधिकारी के सरकारी क्वार्टर व थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष की निगरानी करने हेतु निर्देश दिये गए। श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी के प्राईवेट वाहन के सम्बन्ध में पूछा तो थानाधिकारी द्वारा बताया कि यह वाहन मेरे थाना सर्कल के परिचित केशुराम टांक निवासी नारेला खेडा कालाकोट धोलापानी का है। उक्त कार्यवाही की विडीयोग्राफी सरकारी मोबाईल मे लगे मैमोरी कार्ड मे श्री बाबूलाल कानि. से विडीयोग्राफी करवाई गई। उक्त वाहन से श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी से अवैध राशि बरामद होने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नही दे पाया। अब तक के समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर निर्देश प्राप्त किये। श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी के कक्ष व सरकारी क्वार्टर की तलाशी उच्चाधिकारीयों के आदेश से लिया जाना आवश्यक होने से श्री बाबुलाल कानि को श्री मनरूप कानि व पुलिस थाना धोलापानी के आरोपी श्री रोहित माली व परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी ओमजी एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता को हमराह लेकर रिश्वत राशि बरामद प्राईवेट वाहन से एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता श्री धीरेन्द्र सिंह कानि के निजी वाहन से पुलिस थाना धोलापानी पहुचने के निर्देश प्रदान कर रवाना कर उनके पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी एवं श्री रघुवीर सिंह कानि को हमराह लेकर मय ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन से पुलिस थाना धोलापानी के लिए रवाना हो जरिये दूरभाष पुलिस उप अधीक्षक छोटी सादडी को घटना की जानकारी देते हुए एक महिला कानि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जिस पर पुलिस उप अधीक्षक छोटी सादडी द्वारा उनके कार्यालय में पदस्थापित सुश्री सरिता मकानि न 532 को पाबन्द किया गया। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय रास्ते में ही होने से मकानि को हमराह अपने वाहन मे ही साथ में लेकर पुलिस थाना धोलापानी के लिये रवाना हुआ। समय करीब 08.50 पी.एम पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ पहूंचा । जहां पूर्व के पाबन्दशुदा श्री वीर विक्रम सिंह व श्री पंकज कानि उपस्थित मिले जिन्हे हमराह लेकर पुलिस थाना धोलापानी में प्रवेश किया जहां श्री भंवर

सिंह सहायक उप निरीक्षक उपस्थित मिले जिन्हे पुलिस थाना धोलापानी के प्रकरण में आरोपी श्री रोहित माली को सुरक्षित थाना परीसर में जाप्ते की निगरानी में रखने हेतु निर्देश प्रदान कर आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष की तलाशी हेतु कक्ष में प्रवेश किया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह एवं ब्यूरो जाप्ता द्वारा पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई जिसकी फर्द खानातलाशी पृथक से मूर्तिब की जावेगी । उक्त खाना तलाशी की विडीयोग्राफी श्री बाबुलाल कानि से सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में की गई। दिनांक 12.05.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी को 20,000/- रूपये रिश्वत राशि दी गई थी। उक्त नोटो के नम्बर के फोटो कानि बाबुलाल द्वारा अपने मोबाईल मे खिचें गये थे, जिसकी कानि बाबुलाल द्वारा प्रिन्ट निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेष की। जिस पर परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 09.00 पी.एम पर बाद खानातलाशी मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता, मकानि, स्वतन्त्र गवाह के पुलिस थाना धोलापानी के परिसर में स्थित आरोपी थानाधिकारी के सरकारी क्वार्टर पर पहुंचा। आरोपी थानाधिकारी के सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी थानाधिकारी एवं थानाधिकारी की पत्नि श्रीमती हर्षिता की निषांदेही में तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त खाना तलाशी की विडीयोग्राफी श्री बाबुलाल कानि से सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में की गई। बाद खानातलाशी मय हमराहियान के पुनः पुलिस थाना धोलापानी में प्रवेश कर श्री भंवर सिंह सहायक उप निरीक्षक को एक कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु कहां गया जिस पर सउनि द्वारा थाना हाजा के कम्प्युटर कक्ष उपलब्ध करवाया गया। समय करीब 10.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा दिनांक 12.05.2026 को समय 05.45 पी.एम पर आरोपी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के मोबाईल नम्बर से परिवादी रितेष माली के मोबाईल नम्बर से हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी श्री रितेष माली द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल ट्रैप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिब शुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड ईशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री रितेश माली ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड ईशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज परिवादी श्री रितेश माली की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर ईर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 10.25 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 12.05.2026 को समय 07.19 पी.एम पर आरोपी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के वाटसअप मोबाईल नम्बर से परिवादी रितेश माली के वाटसअप मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री रितेष माली व परिवादी के भाई श्री रोहित माली के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी श्री रितेष माली द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री रितेश माली ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज अपने भाई श्री रोहित माली की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 10.40 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 12.05.2026 को समय 07.46 पी.एम पर आरोपी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी परिवादी रितेश माली के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री रितेश माली द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक

के निर्देषन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री रितेश माली ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज परिवादी श्री रितेशमाली की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 14.05.2026 को समय करीब 12.30 ए.एम पर श्री दिलीप सिंह सउनि थाना हाजा पर उपस्थित आए व मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष पेशहोकर अवगत कराया कि पुलिस उप अधीक्षक छोटी सादडी के मौखिक निर्देशानुसार उक्त प्रकरण की पत्रावली मन् सउनि को प्राप्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिस पर पुलिस थाना धोलापानी के प्रकरण संख्या 42/2026 धारा 87,64(1) बीएनएस 2023 की मूल पत्रावली गवाह श्री कुलदिप सिंह से प्राप्त कर थाना हाजा में उपस्थित श्री दिलीप सिंह सहायक उप निरीक्षक को सम्भलवाई जाकर प्रकरण पत्रावली की प्रमाणित शुदा प्रतियां पेश करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। समय करीब 12.40 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 13.05.2026 को समय 08.44 पी.एम पर आरोपी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी परिवादी रितेष माली व सपरिवादी श्री ओमजी के मध्य रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री रितेश माली द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर के मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री रितेश माली ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज परिवादी श्री रितेश माली की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। सपरिवादी श्री ओमजी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 02.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 13.05.2026 को समय 11.13 एएम पर आरोपी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी व सपरिवादी श्री ओमजी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता जिसे कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिब शुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में सपरिवादी श्री ओमजी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री प्रवीण सिंह थानाधिकारी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज सपरिवादी श्री ओमजी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 02.40 ए.एम पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी की पत्नि श्रीमती हर्षिता थाना कक्ष मे उपस्थित आकर अवगत कराया कि प्रवीणजी को स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या है। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना आवश्यक होने से आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु तेहरीर जारी कर मय आरोपी को हमराह लेकर श्री करण सिंह सउनि, श्री पंकज कुमार कानि, वीर विक्रम सिंह कानि को जरिये सरकारी वाहन छोटी सादडी हेतु रवाना किए। समय करीब 04.20 ए.एम पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट करा बाद परीक्षण मय आरोपी के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। आरोपी को सुरक्षित कार्यालय में बैठाया गया। समय करीब 04.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी

पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रवीण कुमार चारण पिता श्री विशाल दान जाति चारण उम्र 52 साल निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ में दिनांक 12.05.2026 को परिवादी श्री रितेश माली एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मध्य समय करीब 4.45 पीएम पर जरिये मोबाईल हुई वार्ता, समय करीब 7.19 पीएम पर परिवादी श्री रितेष माली व परिवादी के भाई श्री रोहित के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ता, समय करीब 7.46 पीएम पर परिवादी श्री रितेश माली एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 13.05.2026 को परिवादी श्री रितेश, सहपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो उक्त समस्त वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08GB में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी लेपटॉप में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्ताओं को कॉपी कर दो पेन ड्राईव SANDISK 08GB की तैयार की गयी। एक एक पर आरोपी पेनड्राईव तथा दुसरी पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये, दोनो पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर एक खाकी लिफाफे में चिट लगाकर सुरक्षित रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 05.15 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रवीण कुमार चारण पिता श्री विशाल दान जाति चारण उम्र 52 साल निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ में रिश्वत राशि बरामदगी एवं पुलिस थाना धोलापानी के थानाधिकारी कक्ष एवं थाना परिसर में स्थित थानाधिकारी सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी के दौरान श्री बाबुलाल कानि. के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मूल मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर तीन पेनड्राईव SANDISK 08GB तैयार की गयी। एक पर आरोपी पेनड्राईव व दुसरी पर आईओ पेनड्राईव एवं तीसरी पर खानातलाषी आईओ पेनड्राईव लिखा गया जाकर तीनो पेनड्राईव को अनषील्ड रखकर खाकी लिफाफे में चिट लगाकर सुरक्षित रख गया एवं मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08GB को मोबाईल से पृथक कर मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 06.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रवीण कुमार चारण पिता श्री विषाल दान जाति चारण उम्र 52 साल निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ में परिवादी द्वारा दिनांक 12.05.2026 को दौराने मांग सत्यापन आरोपी को देने हेतु रिश्वत राशि 20,000/- रूपये पेश किये थे, उक्त नोटो का फोटो लेकर परिवादी को आरोपी को देने हेतु 20,000/- रूपये वापस परिवादी को सुपुर्द किये गये थे, जो आरोपी के सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी के दौरान मिली राशि 500-500 रूपये के 28 नोट कुल 14000/- रूपये जो पूर्व मे दी गई राशि के नम्बरो के फोटो से मिलान करने पर हुबहु पाई गई व आरोपी द्वारा 6000/- रूपये खर्च होना बताया गया। उक्त राशि 14000/- रूपये को वजह सबुत जब्त कर सिल चिट किया जाकर चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 06.15 ए.एम पर श्री मनरूपराम मंडा पिता वक्साराम मंडा उम्र 33 वर्ष निवासी ब्राहमणों के बास वार्ड नं.0 06 गोराउ जिला नागौर हाल कानि. नं0 295 एवं श्री रघुवीर सिंह पिता मोहन सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ककनावाली, जिला नागौर हाल कानि. नं. 26 पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ व श्री रोहित माली पिता कन्हैयालाल माली उम्र 28 वर्ष निवासी छोटी सादडी जिला प्रतापगढसे विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट बनाया जाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय करीब 07.30 ए.एम पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक एसपीएल ,5 व 6 दिनांक 14.05.2026 दिये गये। आरोपी ने उक्त पत्रों पर ही मै स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण नियमानुसार पृथक से प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 08.00 ए.एम पर श्री दिलीप सिंह सउनि द्वारा पुलिस थाना धोलापानी के प्रकरण संख्या 42/2026 धारा 87, 64(1) बीएनएस 2023 की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया पेश की जिसे बाद

अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 09.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रितेश माली, सपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के समक्ष दिनांक 12.05.2026 को परिवादी श्री रितेष माली एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मध्य समय करीब 4.45 पीएम पर जरिये मोबाईल हुई वार्ता, समय करीब 7.19 पीएम पर परिवादी श्री रितेश माली व परिवादी के भाई श्री रोहित के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ता, समय करीब 7.46 पीएम पर परिवादी श्री रितेश माली एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 13.05.2026 को परिवादी श्री रितेश, सहपरिवादी श्री ओमजी एवं आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो उक्त समस्त वार्ताऐं जो डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में सुरक्षित थी, उक्त मेमोरी कार्ड से डब पेन ड्राईव बनाई गई उक्त पेन ड्राईव को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से लेपटॉपसे कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री भंवर सिंह पिता महादेव सिंह जी उम्र 50 वर्ष निवासी गांव लापुआ थाना रिंगस जिला सीकर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री भंवर सिंह ने एक आवाज श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना छोलापानी की होना बताया। श्री भंवर सिंह ने बताया कि मै पुलिस थाना धोलापानी पर एएसआई के पद पर पदस्थापित हूँ । इसलिए मैं श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी की आवाज को पहचानता हूँ तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। समय करीब 10.00 ए. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय् परिवादी श्री रितेश माली व स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री राघव तलवाडिया एवं श्री करण सिंह एएसआई के मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु नरसिंगढ टोल नाका, छोटी सादडी के लिए रवाना हुये। समय करीब 02.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय् परिवादी श्री रितेश माली व स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री राघव तलवाडिया एवं श्री करण सिंह एएसआई के मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाषुदा छोटी सादडी पहुचे जहा पर मुताबिक निर्देश श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी रेंज, उदयपुर के आदेश से श्री हरिशचन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक एसीबी भ्रनिब्यूरों चित्तौडगढ उपस्थित मिले मामले के गवाह श्री मितांश कोठारी निवासी छोटी सादडी के बयान लिये जाने हेतु मामले के हालात बता श्री हरिशचन्द्र सिह पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित कर मन् पुलिस उप अधीक्षक घटनास्थल निरीक्षण हेतु नृसिगढ टोल नाके पर पंहुचकर नियमानुसार परिवादी श्री रितेष माली की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये व नृसिगढ टोल नाके पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी द्वारा दिनांक 13.05.2026 को प्रकरण मे आरोपी श्री रोहित माली को घटना स्थल तस्दीक हेतु गंगापुर भीलवाडा ले जाने व वापस आने पर टोल नाके पर ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही की वीडीयो फुटेज हेतु प्रबंधक चेटक नृसिगढ को रिपोर्ट देकर जरिये पेन ड्राईव प्राप्त कर रवाना हो छोटी सादडी पहुचा जहा श्री हरिशचन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक, ने गवाह श्री मितांश कोठारी के बयान की प्रति दी। जिसका अवलोकन कर शामिल कार्यवाही की गई व मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता के सरकारी वाहन से रवाना हो हाजिर पुलिस थाना धोलापानी पर आये। तत्पश्चात समय करीब 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह, श्री राघव तलवाडिया, आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के समक्ष आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर. से श्री मितांश कोठारी के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल पर दिनांक 13.05.2026 को की गई वार्ताओ की हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लिया जाकर श्री बाबुलाल कानि से कार्यालय के लेपटॉप से प्रिन्ट निकलवाई गई। आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 12.05.2026 व 13.05.2026 को वाट्सअप कॉल से वार्ताए होना पाया। उक्त वार्ताओ का स्क्रीनशॉट लिया जाकर श्री बाबुलाल कानि से कार्यालय के लेपटॉप से प्रिन्ट निकलवाई गई तथा परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 12.05.2026 व 13.05.2026 को वाट्सअप कॉल से वार्ताए होना पाया गया । उक्त वार्ताओ का स्क्रीनशॉट लिया जाकर श्री बाबुलाल कानि से कार्यालय के लेपटाटॉप से प्रिन्ट निकलवाई गई। आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर के वाट्सअप का अवलोकन किया गया तो mitansh Kothari के नाम से मोबाईल नम्बर सेव है व उक्त नम्बर पर दिनांक 13.05.2026 को समय 01.04, 01.06 एवं 01.12 पी.एम. पर वाट्सअप कॉलपर आउटगोईंग वार्ता की गई है। आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर के वाट्सअप का अवलोकन किया गया तो उक्त नम्बर से परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर जो आरोपी के वाट्सअप मे सेव नही है तथा आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मोबाईल नम्बर के वाट्सअप से परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 12.05.2026 को समय 7.47, 7.48, 8.14 एएम पर आउटगोईग वोईस काल वार्ता, व समय 8.50 एएम पर अनएनसार्ड आउटगोईंग कॉल, समय 12.22 पी.एम. पर इनकमिग वोईस कॉल वार्ता, समय 5.41 पीएम पर अनएनसार्ड आउटगोईंग कॉल, समय 5.47 पीएम पर इनकमिंग वोईस कॉल, समय 7.16 पी.एम. पर अनएनसार्ड आउटगोईंग वोईस कॉल, दिनांक 13.05.2026 को समय 09.03, 09.04, 09.08 ए.एम. पर अनएनसार्ड वोईस कॉल, समय 09.25 ए.एम.

पर इनकमिंग वोईस कॉल, समय 11.58 एएम व समय 12.10 पी.एम. पर आउटगोईंग वीडीयो कॉल, समय 12.19 पी. एम. पर आउट गोईंग वोईस कॉल, समय 12.35, 12.41, 07.32, 07.33 पीएम पर अनएनसार्ड वोईस कॉल वार्तायें होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट व मोबाईल नम्बर की ओनर का विवरण का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई जाकर। सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तथा परिवादी श्री रितेश माली के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के मोबाईल नम्बर के वाट्सअप पर दिनांक 12.05.2026 को समय 7.46, 7.47, 8.13 ए.एम. पर इनकमिंग वोईस कॉल , व समय 8.50 ए.एम. पर मिस्ड वोईस कॉल, समय 12.22 पी.एम. पर वोईस कॉल काल, समय 5.41, 5.43 पी.एम. पर मिस्ड वोईस कॉल, समय 5.47 पी.एम. पर पर वोईस कॉल कॉल, समय 7.16, 7.17 ,7.18 पी.एम पर मिस्ड वोईस कॉल, समय 7.21 पी.एम. पर वोईस कॉल, दिनांक 13.05.2026 को समय 09.03, 09.04, 09.07, 09.08, 09.20 एएम पर मिस्ड वोईस कॉल, समय 09.25 ए.एम. व 10.25 ए.एम. पर वोईस कॉल, समय 11.15, 11.55,एएम पर वोईस कॉल, समय 11.57 एएम व 12.10 पी.एम. पर विडीयो कॉल , समय 12.19 पीएम पर वोईस कॉल , समय 12.34, 12.40, 07.32 , 07.33 पी.एम. पर मिस्ड वोईस कॉल वार्तायें होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट व मोबाईल नम्बर की ओनर का विवरण का स्क्रीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई जाकर। सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी का मोबाईल सुरक्षित हालात में सम्भलाया गया। समय करीब 03.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह, श्री राघव तलवाडिया, आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रवीण कुमार चारण पिता श्री विषाल दान जाति चारण उम्र 52 साल निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ में परिवादी द्वारा दिनांक 13.05.2026 को दौराने कार्यवाही मांग सत्यापन में आरोपी द्वारा परिवादी के भाई से अन्य व्यक्ति से मोबाईल वार्ता करा राशि 300000/- रूपये आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण द्वारा ग्रहण कर गंगापुर सिटी पहुंच राजकार्य कर बाद राजकार्य पुलिस थाना धोलापानी की ओर रवाना हो जिस पर निम्बाहेडा से प्रतापगढ रोड पर स्थित नृसिंहगढ टोल नाका पर वाहन संख्या RJ09 CD-9422 कार हुण्डई ओरा बरंग सफेद वाहन मालिक श्री केशुराम टांक पिता श्री रतनलाल टांक निवासी नारेला खेडा, कालाकोट थाना धोलापानी जिला प्रातपगढ वाहन स्वामी होना पाया गया। उक्त वाहन को निम्बाहेडा से प्रतापगढ रोड पर स्थित नृसिंहगढ टोल नाका के पास रूकवाकर चैकिंग की गई तो आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण, थानाधिकारी धोलापानी जिला प्रतापगढ मय जाप्ता व परिवादी का भाई श्री रोहित के साथ कार मे पाये गये। जिस पर अपना व गवाहान व जाप्ता का परिचय देकर वाहन को चैक गवाह से करवाया गया तो डेक्स बोर्ड के अन्दर राशि मिली जिस पर गवाहान से गिनती करवाई गई तो 250,000/-रूपये मिले तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह से आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण की जामा तलाशी तलाशी लावाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से नगद राशि मिली जिसकी गिनती कराई तो 37,650/- रूपये मिले। इस प्रकार चैकिंग मे कुल राशि 2,87,650/- रूपये मिले। तत्पश्चात मौके से रवाना हो पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ पहुंचे। उक्त वाहन को जप्त कर पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ के अति. मालखाना प्रभारी श्री सोहनलाल हैड कानि. 264 पुलिस थाना धोलापानी को सुरक्षित हालात में वाहन RJ09 CD-9422 मय चाबी के सुपुर्द किया जाता है। उक्त वाहन को एसीबी के आदेश/निर्देशों के बिना सुपुर्द नही किया जावें। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय करीब 05.15 पी.एम पर पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ के प्रकरण संख्या 42/2026 में श्री प्रवीण कुमार चारण मय जाब्ता आरोपी को हमराह लेकर गंगापुर भीलवाडा मौका हेतु रवाना हुए थे जिसकी रोजनामचा कि प्रमाणित रपट थाना हाजा से प्राप्त की गई एवं थाना के मालखाना रजिस्टर में दर्ज प्राईवेट वाहन को जमा मालखाना किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बाद अवलोकन गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा रिश्वत राशि सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, व नृसिगढ टोल नाके के फुटेज की पेनड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुरक्षित रखने की हिदायत देकर सुपुर्द किये गये। समय करीब 05.25 पी.एम पर परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी श्री ओमजी उर्फ ओमप्रकाश, को आवश्यक निर्देश देकर रूखसत किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को जाये तैनाती देने हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता सरकारी व निजी वाहन मय आवश्यक संसाधन से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि दिनांक 12.05.2026 को परिवादी श्री रितेश माली पिता कन्हैयालाल माली उम्र 26 वर्ष निवासी छोटी सादडी जिला प्रतापगढ ने एक लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि"सादर निवेदन है कि मे प्रार्थी रितेष माली पिता कन्हैयालाल माली उम्र 26 वर्ष निवासी छोटी सादडी जिला प्रतापगढ का रहने वाला हूँ मेरे बडे भाई रोहित माली को धोलापानी पुलिस बलात्कार मामले मे पकडकर ले गई है मेरे भाई रोहित माली के साथ मारपीट नही करने व मामले मे

मदद करने एवं मुकदमे मे मेरे पिताजी को नही फंसाने के एवज मे प्रवीण सिंह चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ द्वारा 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हु रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हु मेरी प्रवीण सिंह से पुरानी कोई दुश्मनी नही है ना ही कोई पुरानी लेन-देन बाकी नही है। उचित कार्यवाही करावें।'' परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला रिश्वत राशि लेन-देन का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री प्रवीण कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी प्रतापगढ द्वारा 20,000/- रूपये प्राप्त किये जिसकी पूर्व मे ब्यूरों द्वारा फोटोग्राफी की जाकर परिवादी श्री रितेश माली को सुपुर्द किये गये थे। दिनांक 12.05.2026 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी द्वारा परिवादी श्री रितेश माली से पेमेन्ट के लिए कहा जिस पर परिवादी श्री रितेश माली द्वारा 20000/- रूपये की व्यवस्था होना व अभी 20000/- रूपये लाया हूँ। जिस पर आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी ने 20,000/- रूपये ग्रहण कर लिये। परिवादी श्री रितेश माली द्वारा सुबह बाकी रूपयो की व्यवस्था करने के लिए कहा लेकिन आरोपी द्वारा स्पष्ट मांग वार्ता नही होने से दिनांक 13.05.2026 को सुबह परिवादी श्री रितेश माली व उसके सपरिवादी श्री ओमजी उर्फ ओमप्रकाश पुनः मांग सत्यापन वार्ता हेतु भेजा गया था, जो आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी से वार्ता कर परिवादी श्री रितेश माली व सपरिवादी ओमजी उर्फ ओमप्रकाश द्वारा बताया कि आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण द्वारा 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि आज ही लाने हेतु कहा है। परिवादी श्री रितेश माली को से टेप रिकार्डर प्राप्त कर सुना गया तो श्री आरोपी व परिवादी एवं सपरिवादी के मध्य हुई रिश्वत राशि की मांग जो रिकार्डर मे रिकार्ड नही हो पाई। आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी द्वारा पुलिस हिरासत मे परिवादी के भाई श्री रोहित माली पर दबाव बनाकर रोहित माली जिस व्यापारी के पास काम करता है, उससे आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण के द्वारा अपने स्वंय के मोबाईल से रोहित माली की वार्ता करा 03 लाख रूपये रोहित माली के नाम से व्यापारी श्री मितांश कोठारी से प्राप्त कर लिये थे। ब्यूरों टीम द्वारा दौराने तलाशी आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी के कब्जे वाहन एवं जामातलाशी से कुल 2,87,650/-रूपये बरामद किये गये एवं आरोपी के सरकारी आवास की खानातलाशी के दौरान परिवादी श्री रितेश माली द्वारा आरोपी श्री प्रवीण कुमार चारण थानाधिकारी को दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.05.2026 को दिये गये 20000/- रूपये मे से 14000/-रूपये बरामद हुये। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः आरोपी श्री प्रवीण कुमार पिता श्री विषाल दान चारण उम्र 52 वर्ष जाति चारण निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर जयपुर राजस्थान हाल थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म अन्तर्गत धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कता की जाकर इस पत्र के साथ संलग्न वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।भवदीय,(रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रवीण कुमार पिता श्री विशाल दान चारण, उम्र 52 वर्ष, जाति चारण, निवासी ए-29 दादुदयाल नगर, मानसरोवर जयपुर राजस्थान, हाल थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिशचन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 925 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 805-08 दिनांक 17.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/05/2026 10:22:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)